

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, टोडाभीम  
जिला-करौली



\* जाति प्रमाण-पत्र \*

क्रमांक : RJ9/2014/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/12783  
10-2014

दिनांक 10-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुष्पेन्द्र जारेडा पुत्र श्रीराम बैरवा गांव/नगर खिलचीपुर बाडा, तहसील-  
टोडाभीम, जिला-करौली जिला/डिवीजन करौली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में बैरवा (5)  
जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1950,  
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951,  
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1956, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1960, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1966, संविधान  
अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम  
1976 द्वारा कक्षा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम  
1976 द्वारा कक्षा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1959, संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1962, संविधान (संघ राज्य क्षेत्र)  
अनुसूचित जाति अधिनियम 1962, संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1962, संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1964, संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1967,  
संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1968, संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1968, संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी पुष्पेन्द्र जारेडा गांव/नगर खिलचीपुर बाडा, तहसील-टोडाभीम, जिला-करौली  
जिला/डिवीजन करौली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निचोरी का अर्थ यही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं. एक 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, टोडाभीम

Signature valid

Digitally signed by  
Bairav Jagdish Prasad  
Date: 2014.10.10  
05:30:16 +0530  
Reason: G.M  
Location: Rajasthan



1409019710218803

Kara 2014 2067642